

2021/59

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)



अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी,
पेमाराम पुत्र पन्नाराम जाट
निवासी हुलढाणी तह. परबतसर

बमुकाम :
बनाम

परबतसर जिला नागौर राजस्थान
गुमानराम पुत्र पन्नाराम उजाट
सा. हुलढाणी तह. परबतसर

किस्म कुमदमां 88,188 आरटीए

मुकदमां नम्बर 42/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.06.2021	<p>वादीगण की ओर से वकील श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश किया हैं जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (शिवपाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर </p>	
12/7/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी खण्ड उपस्थित होकर प्रां पत्र दिनांक 23-6-21 को पेश कर निवेदन किया है कि हम पक्षकारों में अदालत से बाहर शर्जीनामा हो गया है। जिससे यह वाद चलना नहीं चाहते हैं जरिये विद्रोह खारिज किया जाने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः वादीगण के निवेदन पर पक्षकारों में शर्जीनामा होने से यह वाद-पत्र जरिये विद्रोह खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायित्व दायत हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) </p>	<p>श. नि. पेमारा प्रो. ए. ए. [Signature]</p>

